रजिस्ट्री सं० डी० एल०-3300 ९९ REGD NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 2000/अग्रहायण 24, 1922
No. 289] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 2000/AGRAHAYANA 24, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2000

सं. 48 (आर ई-2000)/1997—2002

फा. सं. 01/91/180/149./एएम00/पीसी-3.—"निर्यात तथा आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण 1997-2000" नामक पुस्तक में अनुसूची 2 के परिशिष्ट 1 की क्रम सं. 12 तथा अनुसूची 2 तालिका-ख की कोड सं. 1001 पर प्रविष्टि की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निर्यात मदों के लिए शर्तें विनिर्दिष्ट की गई हैं:—

2. निर्यात तथा आयात नीति 1997—2002 के पैराग्राफ 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसिंग वर्ष 2000-2001 के दौरान (क) गेहूँ और (ख) मोटे अनाजों के निर्यात पर लागू मात्रात्मक प्रतिबंध को निम्नानुसार आगे विनिर्दिष्ट किया जाता है।

(i) गेहूँ की 20 लाख मी. टन की अतिरिक्त मात्रा को निर्यात करने की अनुमति दी जाती है। निम्नलिखित एजेंसियों को आर सी ए सी जारी करने हेतु मात्रात्मक प्रतिबंध लागू करने की जिम्मेवारी एपीडा को सौंपी जाती है :

क एस टी सी
ख. एम एम टी सी और
ग. पी ई सी

उपर्युक्त एजेंसियां एपीडा से आर सी ए सी प्राप्त करेंगी और सरकारी पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम के स्टाक से प्राप्त गेहूँ का निर्यात करेंगी।

(ii) मोटे अनाज (खरीफ की फसल के रूप में उगाई गई हाइब्रिड ज्वार को छोड़कर जौ, मक्का, बाजरा, रागी और ज्वार तथा इनका आटा) के संबंध में, 25000 मी. टन अतिरिक्त मात्रा का निर्यात करने की अनुमति दी जाती है। निम्नलिखित को उनके समक्ष उल्लिखित मात्रा के लिए आर सी ए सी जारी करने के लिए मात्रात्मक प्रतिबंध लागू करने की जिम्मेवारी एपीडा को सौंपी जाती है।

क एन सी सी एफ	5000 मी.टन
ख. एन ए एफ ई डी	5000 मी टन
ग. एस टी सी एल, बंगलौर	5000 मी. टन
घ. अन्य निर्यातकों को 10,000 मी. टन के आबंटन के लिए	

3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 15th December, 2000

No. 48 (RE-2000)/1997—2002

F. No. 01/91/180/149/AM00/PC-III.—Attention is invited to the entry at Code No 1001 of Schedule 2 Table B and S. No 12 of Appendix-1 to Schedule 2 in the book titled "ITC (HS) Classifications of Export and Import Items 1997—2002" specifying the terms and conditions for export of items indicated therein

2 In exercise of the powers conferred under para 4 11 of the Export and Import Policy, 1997—2002, the quantitative ceiling on export of (a) Wheat and (b) Coarse grains during the licensing year 2000—2001 is further specified as under :

(i) A further quantity of 20 lacs M. Tonnes of wheat is permitted to be exported. This ceiling is placed at the disposal of APEDA for the purpose of issuing of RCACs to the following agencies :—

(a) STC
(b) MMTC and
(c) PEC

The above agencies would obtain the RCACs from APEDA and export wheat obtained from the stocks held by the Food Corporation of India for the Central pool.

(ii) In respect of coarse grains (grain and flour of Barley, Maize, Bajra, Ragi and Jowar excluding Hybrid jowar grown as kharif crop), a further quantity of 25,000 M. Tonnes is permitted to be exported. This quantity is also placed at the disposal of APEDA for issuing RCACs to the following as indicated against each —

(a)	NCCF	5000 M. Tonnes.
(b)	NAFED	5000 M Tonnes.
(c)	STCL, Bangalore	5000 M. Tonnes.

(d) For allocation 10,000 M. Tonnes to other exporters.

3 This issues in Public interest.

N.L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade, and Ex-Officio Addl Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054